MATHURA POLICE

दिनांक - 17 जुलाई 2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या जैसी सनसनी खेज घटना में 02 मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास व 22000-22000 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा की सजा दिलवायी गयी:-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था। मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना फरह जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 115/2020 धारा 302,201,34 भादवि में आज दिनांक 17.07.2025 को न्यायाधीश श्रीमती नीलम ढाका,माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(न्यायालय सं0-6)मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर 02 मुख्य अभियुक्तगण केसरिया पुत्र नत्थी उर्फ नक्की निवासी ग्राम जलाल थाना फरह मथुरा व राजवीर पुत्र नत्थी उर्फ नक्की निवासी ग्राम जलाल थाना फरह मथुरा को सश्रम आजीवन कारावास व 22,000-22,000 रूपये अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

घटना क्रमः-

दिनांक 02.05.2020 को अभियुक्तगण केसरिया पुत्र नत्थी उर्फ नक्की निवासी ग्राम जलाल थाना फरह मथुरा व राजवीर पुत्र नत्थी उर्फ नक्की निवासी ग्राम जलाल थाना फरह मथुरा द्वारा वादी के भाई सचिन उर्फ तिलका की हत्या कर दी थी । इस जघन्य अपराध में वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किये गये एवं आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

<u>महत्वपूर्ण योगदान</u>

निरीक्षक श्री शेर सिंह
विवेचक/ तत्कालीन प्रभारी
निरीक्षक थाना फरह

अभियोजक श्री हेमेंद्र
भारद्वाज

मुख्य आरक्षी - अजय कुमार
(पैरोकार)

<u>मॉनीटरिंग सैल जनपद मथुरा</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जगदम्बा सिंह
2. उ0नि0 श्री ओमवीर सिंह
3. उ0नि0 श्री सोमप्रकाश सिंह
4. है0का0 ऋषिपाल सिंह
5. का0 विकास कुमार

मीडिया सेल मथुरा